

राजस्थान सरकार  
निदेशालय स्थानीय निकाय राज. जयपुर

क्रमांक.प.24(ग)(13)नियम/डीएलवी/89/पार्ट-II/10581-10806 दिनांक: 09/09/15

1. जिला कलेक्टर,  
समस्त राजस्थान
2. आयुक्त, अधिशाही अधिकारी,  
नगर निगम/परिषद/पालिकाएं,  
समस्त राजस्थान।

संशोधित -आदेश

विषय: पशुवध गृह/गांस मछली की दुकाने बन्द रखने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जैन धर्म के पर्युषण पर्व को दृष्टिगत रखते हुये राज्य के सभी वूचडखाने मांस-मछली की दुकाने बन्द रखने के संबंध में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 18.08.2015 को निम्न प्रकार संशोधित रूप से पढा जावे।

'जैन धर्म के पर्युषण पर्व को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के सभी वूचडखाने मांस-मछली की दुकाने बन्द रखी जावे।'

पर्व	दिनांक	वार
पर्युषण पर्व एवं संवत्सरी	17.09.15 एवं 18.09.15	गुरुवार एवं शुक्रवार
अनन्त चतुर्दशी	27.09.2015	रविवार

DA

क्रमांक.प.24(ग)(13)नियम/डीएलवी/89/पार्ट-II/10807-10820 दिनांक: 09/09/15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
4. आयुक्त आचकारी विभाग, राजस्थान जयपुर/उदयपुर।
5. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान।
6. जनसंपर्क अधिकारी निदेशालय।
7. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक (विधि)